



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

सूचना क्रमांक 01/2018/परीक्षा, दिनांक 27.07.2018


सहायक प्राध्यापक परीक्षा -2017

अनिवार्य आवश्यक सूचना

(केवल लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए आवेदकों के लिए)

ऑनलाइन अपडेशन की अंतिम तिथि 04.08.2018

- 01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 07/2017, दिनांक 12.12.2017 आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है तथा "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र के दिनांक 18.12.2017 के अंक में प्रकाशित किया गया था।
- 02 उक्त पदों हेतु विज्ञापित क्रमांक 7407 दिनांक 25.07.2018 द्वारा स्नातकोत्तर परीक्षा के प्रतिशत एवं अतिथि विद्वान के लिए वरीयता अंकों में भी वांछित गणना पत्रकों को अपलोड करने संबंधित ऑनलाइन अपडेट करने की अंतिम तिथि में संशोधन कर 04.08.2018 किया गया है।
- 03 चूंकि उक्त परीक्षा का चयन परिणाम केवल लिखित परीक्षा + अतिथि विद्वान के देय वरीयता अंकों के योग के मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर तैयार किया जाना प्रावधानित है, साथ ही उक्त अंकों के योग समान होने की स्थिति में संबंधित वांछित विषय के स्नातकोत्तर परीक्षा के प्रतिशत को अधिमान्यता दिये जाने का प्रावधान है। अतः आवेदक निम्नलिखित बिन्दुओं का सत्यापन करें :-
 1. ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा स्नातकोत्तर के अंकों की जानकारी पूर्णतः सही दी गयी हो।
 2. अतिथि विद्वान आवेदकों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अतिथि विद्वान हेतु देय वरीयता अंक का उल्लेख एवं तत्संबंध में जो प्रपत्र सबमिट किये गए हैं, उन प्रपत्रों का उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्यापन किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के सत्यापन उपरांत पाया गया कि आवेदकों द्वारा अतिथि विद्वान के लिए देय वरीयता अंकों में भी वांछित गणना पत्रकों को अपूर्ण, अपठनीय, अधिकृत अधोहस्ताक्षकर्ता के बिना हस्ताक्षरित एवं त्रुटिपूर्ण अंकित किया जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट किया गया है। जिन आवेदकों द्वारा अतिथि विद्वान के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्तानुसार वांछित प्रक्रिया का पालन न करते हुए आवेदन पत्र सबमिट किया गया है ऐसे आवेदकों के ऑनलाइन फार्म में कारण सहित रिमार्क अंकित किया गया है।
 3. जिन आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र में स्वयं के स्नातकोत्तर के CGPA/ग्रेड अंकित किये गये हैं वे आवेदक संबंधित विश्वविद्यालय का अधिकृत CGPA फार्मूला अपनी अंक-सूची के साथ संलग्न कर CGPA को प्रतिशत में परिवर्तित कर अपलोड करें।
- 04 अतः आवेदक उपरोक्त तीनों बिन्दुओं का MPOnline पोर्टल पर लॉगईन कर, स्नातकोत्तर के अंक/प्रतिशत की जाँच करें एवं अतिथि विद्वान होने की स्थिति में अतिथि विद्वान से संबंधित जानकारी हेतु कोई रिमार्क दिखायी दे तो दिखाए गए रिमार्क के अनुरूप आवेदन पत्र में संशोधन कर अंतिम दिनांक के पूर्व जानकारी अपडेट कर निर्धारित शुल्क का भुगतान करें। यदि आवेदक को किसी भी प्रकार का रिमार्क दिखायी नहीं दे रहा है तो आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी उच्च शिक्षा विभाग के सत्यापन में सही पायी गयी है, ऐसे आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार एवं ₹ पचास भुगतान की आवश्यकता नहीं है।


सचिव